शासन से संबंधित/महत्वपूर्ण

(26)

पत्र सं0- जनसूचना -ऑनलाइन वेब पोर्टल प्रचार-प्रसार पत्रावली- (2022-23)/ 1516 / राज्य कर

प्रेषक :

आयुक्त , राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में :

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(जनसूचना अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक 18 जनवरी, 2023

विषय :- जन सूचना से सम्बन्धित ऑनलाइन वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया मा0 अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-73/चौतीस/लो0शि0अनुभाग-5/2023 दिनांक 13.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/ प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है ।

शासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हो रहे RTI आवेदनों/ प्रथम अपीलों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि अभी भी ऑफलाइन RTI आवेदनों/ प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नही आई है । ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वेब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये है ।

अत: शासन की अपेक्षानुसार वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नांकित उपाय किये जायें :-

1- **विभागीय पोर्टलों पर https://rtionline.up.gov.in का लिन्क प्रमुखता से उपलब्ध कराया जाए ।**

2- **अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों (PIOs) को निर्देश निर्गत किए जाएं कि जनसूचना के आवेदनों का उत्तर / सूचना देते समय निम्नलिखित टैक्स्ट को नोट के रुप में अनिवार्य रुप से अंकित किया जाएं -**

"उ0प्र0 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/ प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जन सूचना के लिए आवेदन /प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते है। "

आप अपने स्तर से अपने जोन के समस्त कार्यालयों एवं अधीनस्थ जनसूचना अधिकारियों/ अपीलीय अधिकारियों को निर्देश निर्गत करें कि वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार- प्रसार किया जायें तथा शासन की मंशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

<u>संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।</u>

DC-(I-T)
19/01/2023
6211

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

......2

पृ0प0संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-73/चौंतीस/लो0शि0अनुभाग-5/2023 दिनांक 13.01.2023 की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन की मंशानुसार वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का लिन्क उपलब्ध करायें तथा शासन के उक्त पत्र को नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार- प्रसार हेतु डालने का कष्ट करें ।

2- समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

18/01/2023

(दिनेश कुमार वर्मा)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/जनसूचना अधिकारी,
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या 73 सी॰एम॰/लो॰शि॰/5/2023 दिनांक 13/01/2023

RTI ऑनलाइन

मा० मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कार्य करने हेतु विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं तथा उन्हें यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

2- विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हो रहे RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि अभी भी ऑफलाइन RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वैब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।

3- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जनसूचना से सम्बन्धित ऑनलाइन वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

4- पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं:-

- विभागीय पोर्टलों पर https://rtionline.up.gov.in का लिन्क प्रमुखता से उपलब्ध कराया जाए।
- अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के जन सूचना अधिकारियों (PIOs) को निर्देश निर्गत किए जाएं कि जनसूचना के आवेदनों का उत्तर/सूचना देते समय निम्नलिखित टैक्स्ट को नोट के रूप में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए-
  "उ०प्र० में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वैब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

JC (जनसूचना)

13.01.2022

(एस०पी० गोयल)

अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन।

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव**, उत्तर प्रदेश शासन।

2- **समस्त विभागाध्यक्ष**, उत्तर प्रदेश।

3- **समस्त मण्डलायुक्त**, उत्तर प्रदेश।

4- **समस्त जिलाधिकारी**, उत्तर प्रदेश।

5- **समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक**, उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या- /चौंतीस/ लो०शि०अनुभाग-5/2023 तद्दिनांक।</u>

प्राप्ति पत्रांक 1124 **प्रतिलिपि निम्नांकित** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 17/01/23 1- **मुख्य सचिव**, उत्तर प्रदेश शासन।

पदनाम 2- **प्रमुख सचिव**, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यथा फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब आदि पर विभाग के आधिकारिक ऐकाउन्ट निर्मित कर प्रदेश की नई पीढ़ी के मध्य ऑनलाइन RTI के वैब पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

ज्वा०कमि०/डिप्टी कमि०/असि०कमि०,
(पी०आई०ओ०)

13.01.2022